

॥ कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी, म.प्र. ॥

॥ आदेश ॥

क्रमांक : 226/दो-11-40/98

शिवपुरी, दिनांक:-15/06/2021

श्री ओमप्रकाश शर्मा, आदेशिका वाहक (सीनियर) नजारत अनुभाग शिवपुरी का दिनांक 21.06.21 से 26.06.21 तक कुल 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश काल में इनका पद रिक्त रहेगा।

अर्जित अवकाश स्वीकृति पश्चात् अवकाश लेखा में 300+9 दिवस का स्वत्व शेष है।

सही/-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी, म०प्र०।

पृष्ठां.क्रमांक 8/1764/दो-11-40/98

शिवपुरी, दिनांक:-16/06/2021

प्रतिलिपि यथानिर्देशित :-

1. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग शिवपुरी।
2. श्री ओमप्रकाश शर्मा, आदेशिका वाहक (सीनियर) नजारत अनुभाग शिवपुरी का अर्जित अवकाश, इस निर्देश के साथ स्वीकृत किया जाता है कि भारत सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय प्रशासन/माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के कोविड-19 के निर्देश का पालन/सामाजिक दूरी का पालन करेंगे।
3. लेखापाल, लेखा-अनुभाग जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रशासनिक अधिकारी

कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शिवपुरी म.प्र.।

॥ कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी, म.प्र. ॥

॥ आ दे श ॥

क्रमांक : 227 / दो-6-88 / 19

शिवपुरी, दिनांक: -15 / 06 / 2021

श्री मनीष मांझी, स्टेनो ग्रेड-3 न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 करैरा जिला शिवपुरी का दिनांक 22.04.21 से 01.05.21 तक कुल 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश काल में इनका पद रिक्त रहा।

अर्जित अवकाश स्वीकृति पश्चात् अवकाश लेखा में 183 दिवस का स्वत्व शेष है।

सही / -

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी, म0प्र0।

पृष्ठां.क्रमांक : 8/1765 / दो-6-88 / 19

शिवपुरी, दिनांक: -16 / 06 / 2021

प्रतिलिपि यथानिर्देशित :-

1. न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 करैरा जिला शिवपुरी।
2. श्री मनीष मांझी, स्टेनो ग्रेड-3 न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 करैरा जिला शिवपुरी।
3. लेखापाल, लेखा-अनुभाग जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



प्रशासनिक अधिकारी
कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शिवपुरी म.प्र.।

॥ कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी, म.प्र. ॥

॥ आ दे श ॥

क्रमांक : 228/दो-6-88/19

शिवपुरी,दिनांक:-15/06/2021

श्री मनीष मांझी, स्टेनो ग्रेड-3 न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 करैरा जिला शिवपुरी का दिनांक 15.06.21 से 30.06.21 तक कुल 16 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश काल में इनका पद रिक्त रहेगा।

अर्जित अवकाश स्वीकृति पश्चात् अवकाश लेखा में 167 दिवस का स्वत्व शेष है।

सही/-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी, म0प्र0।

पृष्ठां.क्रमांक 13/1266/दो-6-88/19

शिवपुरी,दिनांक:-15/06/2021

प्रतिलिपि यथानिर्देशित :-

1. न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 करैरा जिला शिवपुरी।
2. श्री मनीष मांझी, स्टेनो ग्रेड-3 न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 करैरा जिला शिवपुरी का अर्जित अवकाश, इस निर्देश के साथ स्वीकृत किया जाता है कि भारत सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय प्रशासन/माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के कोविड-19 के निर्देश का पालन/सामाजिक दूरी का पालन करेंगे।
3. लेखापाल, लेखा-अनुभाग जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रशासनिक अधिकारी 15/6/2021
कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
✓ शिवपुरी म.प्र.।